न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3285–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–12 पारित द्वारा तहसीलदार, इटारसी प्रकरण कमांक 166/अ–12/2011–12.

1– शोभाराम पिता स्व. नत्थू कीर
2– लक्ष्मीचंद पिता स्व. नत्थू कीर
निवासीगण वार्ड नं. 15
स्वप्नेश्वर हनुमान मंदिर के पास
मालवीयगंज इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुनीता देवी पत्नी शंकरलाल
निवासी वार्ड नं. 05
राय साहब की चाल, पुरानी इटारसी
जिला होशंगाबाद
2– म0प्र0 शासन .....अनावेदकगण

श्री अनिल बाघरी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, इटारसी के समक्ष ग्राम मेहरागांव स्थित उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 25/1 एवं 26/1 कुल रकबा 1.838 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 166/अ–12/2011–12 दर्ज कर दिनांक 11–5–12 को राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा दिनांक 27–6–12 को सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–6–12 को आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व खसरे स्वत्व का निर्धारण नहीं करते, जब तक कि वैध टाइटिल डीड के आधार पर अपना स्वत्व साबित न कर दे, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा इसके विपरीत केवल खसरे के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो क्षेत्राधिकार रहित है । यह भी कहा गया कि सीमांकन आवेदन पत्र में अनावेदिका अथवा उसके सक्षम प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है, और सीमांकन के समय अनावेदिका कमांक 1 स्वयं उपस्थित ही नहीं थी । इस आधार पर कहा गया कि सुनीता देवी पत्नी शंकर लाल नाम की कोई महिला अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन अवैध है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पिता प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1955–56 से लगातार काबिज होकर कास्त करते रहे हैं, और कब्जेदार की हैसियत से उसका नाम खसरों में दर्ज रहा है एवं उसकी मृत्यु उपरांत आवेदक कमांक 1 का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज है । अतः विरोधी आधिपत्य के आधार पर आवेदकगण को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हैं ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा जिस भूमि का सीमांकन कराया गया है, वह उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका कमांक 1 की भूमि का सीमांकन कर आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के किये गये सीमांकन को केवल कब्जे के आधार पर आक्षेपित किया जा रहा है, जबकि कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । राजस्व खसरों में सुनीता देवी का नाम

भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है, और खसरों में आवेदकगण का नाम दर्ज नहीं है, न ही उनके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1955–56 से लगातार वे और उनके पूर्वज प्रश्नाधीन भूमियों पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार तहसीलदार, इटारसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर